न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन)बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्री ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र **55/2016**

अनवान :–

श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, बीकानेर जोन, बीकानेर

प्रार्थी

–: बनाम :–

1 श्री जाकिर हुसैन पुत्र श्री अयुब खां,(विक्रेता) मैसर्सः टी एस जेठमल अनिलकुमार डिपार्टमेंटल स्टोर कथुरिया कॉलोनी, पुष्पा मेंशन, बीकानेर – मैसर्स टी एस जेठमल अनिलकुमार, दांती बाजार बड़ा बाजार बीकानेर निवासी– बंगलानगर गली नं. 1 बीकानेर
2 अनिल कुमार सुराणा (भागीदार) मैसर्स टी एस जेठमल अनिलकुमार, दांती बाजार बड़ा बाजार बीकानेर
3 कान्ता देवी सुराणा(भागीदार) मैसर्स टी एस जेठमल अनिलकुमार, दांती बाजार बड़ा बाजार बीकानेर
4 मैसर्स टी एस जेठमल अनिलकुमार, दांती बाजार बड़ा बाजार बीकानेर(फर्म)
5 श्री गोपालदास मोहता पुत्र स्व. श्री सोहनलाल मोहता (भागीदार थोक विक्रेता फर्म) मैसर्स सोहनलाल गोपालदास 78, नई अनाज मण्डी, बीकानेर निवासी मोहता चौक, बीकानेर
6 श्री गिरधरदास मोहता पुत्र स्व. श्री सोहनलाल मोहता (भागीदार थोक विक्रेता फर्म) मैसर्स सोहनलाल गोपालदास 78, नई अनाज मण्डी, बीकानेर निवासी मोहता चौक, बीकानेर
7 श्री श्याम सुन्दर मोहता पुत्र स्व. श्री सोहनलाल मोहता (भागीदार थोक विक्रेता फर्म) मैसर्स सोहनलाल गोपालदास 78, नई अनाज मण्डी, बीकानेर निवासी मोहता चौक, बीकानेर
8 मैसर्स सोहनलाल गोपालदास 78, नई अनाज मण्डी, बीकानेर निवासी मोहता चौक, बीकानेर
9 श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री पोकरमल गोयल(प्रोपराइटर निर्माता फर्म) मैसर्सः दिनेश इण्डस्टीज, 59–बी,इण्डस्ट्रीयल एरिया, रानी बाजार, बीकानेर

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी पक्ष – श्री महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थी सं. 1 ता 4 – अनुपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 5 ता 8 की ओर से – श्री अनिल बजाज अधिवक्ता
4. अप्रार्थी संख्या 9 की ओर से – श्री ओमप्रकाश भादाणी अधिवक्ता

–: निर्णय :– **दिनांक 24.01.2019**

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (सेवानिवृत) श्री मुरारीलाल शर्मा ने दिनांक 16.11.2015 को अप्रार्थीपक्ष श्री जाकिर हुसैन पुत्र अयुब खां मैसर्स टी एस जेठमल अनिलकुमार डिपार्टमेंटल स्टोर कथुरिया कॉलोनी, पुष्पा मेंशन, बीकानेर के यहां निरीक्षण के दौरान दुकान के काउन्टर में रखी 25 थैली प्रत्येक 500 ग्राम सूजी (श्रीगौरव) आम जनता को विक्रय वास्ते रखें हुआ था। तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त खाद्य पदार्थ सूजी (श्रीगौरव) के पैकेटों में से 500 ग्राम के 4 थैली सूजी (श्रीगौरव) वास्ते नमूना संग्रह हेतु विक्रेता द्वारा बताये अनुसार मूल्य 56/– रूपये में खरीद कर रसीद प्राप्त की। जिस पर श्री मुरारीलाल शर्मा, तत्का. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, विकेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। तदन्तर उक्त नमूने भाग के चार लेबल तैयार किये गये जिस पर कोड एवं क्रमांक एबी–627 अंकित कर नियमानुसार प्रत्येक लेबल पर विक्रेता, गवाहान एवं श्री मुरारीलाल शर्मा, तत्का. खाद्य

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। उक्त तैयार लेबल में से एक–एक लेबल प्रत्येक नमूना थैली पर गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना थैली को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर नियमानुसार हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप प्रत्येक कोड व क्रमांक एबी 627 गोंद से चिपकाया तथा चपड़ी से सील मोहर किया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता, गवाहों एवं स्वयं तत्का.खा.सु.अ. ने हस्ताक्षर कर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य विक्रेता एवं गवाहों ने पढ़कर, सुनकर सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुरारीलाल शर्मा ने हस्ताक्षर किये। उक्त पैकेटों में से एक सीलबन्द पैकेट मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज. जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से रिपोर्ट LS./3819/Act/ 2015/249 दिनांक 22.01.2016 के द्वारा जांच होकर कार्यालय को जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें खाद्य पदार्थ पोली पैक्ड सूजी (श्रीगौरव) मिसब्राण्ड (मिथ्याछाप) पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा खाद्य पदार्थ पोली पैक्ड सूजी (श्रीगौरव) मिसब्राण्ड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है इसलिये धारा 52 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 बावजूद नोटिस तामील उपस्थित नहीं आये और ना ही इनके ओर से कोई प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित आये। लिहाजा अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 5 ता 8 की ओर से श्री सुरेश मोहता अधिवक्ता एवं अप्रार्थी संख्या 9 की ओर से श्री ओमप्रकाश भादाणी अधिवक्ता ने वकालतनामा व जवाब प्रस्तुत किया। तदन्तर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. प्रार्थी की ओर से श्री महमूद अली, सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि इस मामले में तत्का. खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से खाद्य पदार्थ पोली पैक्ड सूजी (श्रीगौरव) का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में The sample of " Suji (Shri Gourav Super Fine) bearing Code No. and Sr. No. AB-627 Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standards Act. 2006 is it Contravene Regulation 2.2.1(5) of FSS (Packaging and Labelling) Regulation 2011 पाया गया है । इस प्रकार अप्रार्थी के यहां खाद्य पदार्थ पोली पैक्ड सूजी (श्रीगौरव) मिसब्राण्ड का पाया गया है, जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 52 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

4. अप्रार्थी संख्या 5 ता 8 के अधिवक्ता ने परिवाद के बिन्दुओं को अस्वीकार कर अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या 8 फर्म है तथा अप्रार्थी संख्या 5, 6 भागीदार है। अप्रार्थीगण द्वारा आवेदक के समक्ष अपनी फर्म मैसर्स सोहनलाल गोपालदास फर्म के खाद्य अनुज्ञा पत्र की तथा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रारूप एसटी 4 की प्रति तथा मैसर्स दिनेश इण्डस्ट्रीज फर्म के वेट इनवोइस की प्रति पेश की । अप्रार्थीगण द्वारा उक्त माल का न तो उत्पादन, ना ही मिश्रण तथा न ही अन्य किसी प्रकार से पैकिंग इत्यादि ही किया जाता है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त वर्णित माल को पैक्ड अवस्था में ही मैसर्स दिनेश इण्डस्ट्रीज फर्म से खरीदा गया तथा आगे भी पैक्ड अवस्था में ही विभिन्न दुकानदारों को सप्लाई दिया है। अप्रार्थीगण द्वारा

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

इस प्रकार से माल प्राप्त करने से लेकर माल को आगे सप्लाई दिये जाने तक उक्त माल को ना तो खोला है और ना ही इसमें किसी प्रकार का अन्य माल या पदार्थ मिलाया है, ना ही इसे रिपैक किया गया है। अर्थात जिस अवस्था में माल प्राप्त होता है उसी अवसथा में ही बंद व सील पैक अवस्था में माल को सप्लाई या विक्रय किया गया है। माल के अन्दर किसी भी प्रकार के दोष, जो अप्रार्थीगण को स्वीकार नहीं है इसलिए अप्रार्थीगण को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। मैसर्स दिनेश इण्डस्ट्रीज माल का निर्माता है जिसे अप्रार्थी संख 9 के रूप में पक्षकार बनाया गया है। अन्त में अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 8 का कोई दोष नहीं है ना ही इनके विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के नियमों के अन्तर्गत कोई अपराध बनता है। आवेदक द्वारा समस्त कार्यवाही विधि विरूद्ध एवं नियमों के विरूद्ध एवं बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये की गई है। सैम्पल की विधिवत जांच नहीं करवाई गई है । ऐसी स्थिति में समस्त कार्यवाही नियमों व विधि के विपरीत व विरूद्ध होने से समाप्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 8 के विरूद्ध सव्यय खारिज फरमाया जावें।

5. अप्रार्थी संख्या 8 के अधिवक्ता ने परिवाद में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर जवाब में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुवे कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या 9 गौरव सूजी बनाते है परन्तु उनकों जांच रिपोर्ट आज दिनांक तक नहीं भेजी गई है। परिवाद में कहीं भी स्पष्टतया वर्णित नहीं है कि गौरव सूजी में किस तरह का व क्या मिसब्राण्ड है सिर्फ पैरा नं. 17 में मिसब्राण्ड की धारा दी है परन्तु विशिष्टतया क्या चीज मिसब्राण्ड क्या प्रिंटेड नहीं है क्या गलत प्रिन्टेड है उसका स्पष्ट हवाला नहीं है। गौरव सूजी के निर्माता दिनेश इण्डस्ट्रीज के विरूद्ध कोई ऐसा कृत्य वर्णित नहीं है जिससे उक्त अपराध साबित होता हो व उसका अप्रार्थी संख्या 9 जिम्मेवार होता हो। मिसब्राण्ड के लिए स्पष्टतया अंकित करना होता है केवल मिसब्राण्ड लिख देने से कोई भी मैटीटियल मिसब्राण्ड नहीं हो जाता है। सूजी में कोई भी मिलावट नहीं पाई जाना स्पष्ट है कि प्रार्थी का माल सही है। मिसब्राण्ड की रिपोर्ट का जिक्र है उससे किसी भी तरह का मिसब्राण्ड होना साबित नहीं होता है। परिवाद प्रस्तुत करने कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है तथा नियमानुसार नोटिस जारी नहीं किया गया है। परिवाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की स्वीकृति कानूनन सही नहीं है। निमयानुसार सभी अप्रार्थीगण को पूरे परिवाद व उसके साथ संलग्न दस्तावेज की प्रतियां नहीं दी गई है। जिससे स्पष्ट जवाबदेही भी की जा सकती है व न ही परिवादी ने अप्रार्थी नं. 9 के विरूद्ध क्या परिवाद पेश किया है उसकी विस्तृत जानकारी मिली है और ना ही परिवाद सक्षम अधिकारी द्वारा पेश की गई है। रेपर पर नो फ्लेवर, नो कलर, नो प्रिर्जवेटिव लिख देने से माल मिसब्राण्ड नहीं होता है इसलिए आरोप सही नहीं है क्योंकि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। मिसब्राण्ड का वर्णन नहीं होने से उक्त परिवाद खारिज योग्य है। अतः परिवाद मय खर्चा हर्जा खारिज फरमाया जावें।

6. अप्रार्थी अधिवक्ता के आपत्ति/जवाब का खण्डन करते हुवे खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अभिकथन किया कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी FSSAI की धारा 37 के प्रावधानों के अनुसार नोटिफिकेशन की अधिसूचना के अन्तर्गत निर्धारित अहर्ता पूर्ण करते है तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर जोन के समस्त कार्य क्षैत्र के लिए अधिसूचित एवं अधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी था, जो बीकानेर के अधीन थे। अभिहित अधिकारी एवं उपनिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर जोन बीकानेर द्वारा पत्रांक 5084 दिनांक 7.10.16 स्वीकृति आदेश पत्रावली में संलग्न है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से खाद्य पदार्थ पोली पैक्ड सूजी (श्रीगौरव) का सैम्पल विधिक

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

12. मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु वितरण एवं विक्रय हेतु प्राप्त की जाने वाली सामग्री में वितरकों एवं विक्रेता का भी यह दायित्व होता है कि वे किसी भी खाद्य पदार्थ का वितरण एवं विक्रय मानक सामग्री एवं सही ब्राण्ड की सामग्री की जांच पड़ताल उपरान्त ही करें परन्तु विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 विक्रेता एवं वितरक द्वारा जानबूझकर मानव उपभोग के लिये काम आने वाली खाद्य सामग्री सूजी(श्रीगौरव) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का विक्रय/वितरण किया जिसके लिये वे भी समान रूप से धारा 26 (2) (ii) में दोषी है। अतः आनुपातिक रूप से आरोपित शास्ति में से अप्रार्थी संख्या 9 विनिर्माता की शास्ति को घटाने के पश्चात शेष आरोपित शास्ति राशि **40,000/– अप्रार्थी संख्या** 1 ता 8 यानि प्रत्येक 5–5 हजार रूपये भरने हेतु दायी होगा। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 प्रत्येक 5–5 हजार रूपये एवं अप्रार्थी संख्या 9 रूपये 10,000/– की शास्ति अदा करेगें।

13. इसके साथ–साथ अप्रार्थीगणों को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमियों की अनुज्ञाप्ति निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

14. निर्णय आज दिनांक 24.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर, जोन बीकानेर एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 को जरिये रजिस्टर्ड तथा अप्रार्थी संख्या 5 ता 9 के प्राधिकृत प्रतिनिधि (अधिवक्ता) को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(ए.एच.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर(प्रशा),बीकानेर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर

Scanned by CamScanner